न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 79/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
गिरधारी लाल पुत्र मगन लाल जाति सिंधी निवासी हच टॉवर के पास, महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स अम्बे टी स्टाल, हाई स्कूल के सामने, नेशनल हैण्डलूम के पीछे, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जेठाराम प्रजापत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **28.08.2022** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स अम्बे टी स्टाल, हाई स्कूल के सामने, नेशनल हैण्डलूम के पीछे, बाड़मेर** के निरीक्षण के दौरान **दूध (भैंस का)** जो कि एक फ्रीज में भरा हुआ विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (भैंस का)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो दूध (भैंस का)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1721** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (भैंस का)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

पदार्थ **दूध (भैंस का)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अप्रार्थी को मनगढत एवं नाहक परेशान करने के लिए उक्त परिवाद दायर किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जबरन अप्रार्थी की होटल में रखे फ्रीज में से एक 6 लीटर अमूल दूध की थैली को भगोने में थैली फाड़कर डाला और 2 लीटर दूध को कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल में डालकर ले गया। कुछ समय पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी वापस मेरी होटल में आया तब उसके हाथ में 4 छोटी–छोटी बोतलें थीं जिनमें दूध भरा हुआ था और अप्रार्थी से 4–5 पेपरों पर हस्ताक्षर करवाये। अप्रार्थी ने लिखित जवाब में प्रकट किया कि वह अपनी होटल में अमूल दूध का ही प्रयोग करता है जो पैकिंग अवस्था में आता है। इस संबंध में पैकिंग दूध के बिल का भी हवाला दिया गया जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में भैंस के दूध का उल्लेख किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाये जाने का निवेदन भी किया है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **22.08.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk fat मानक स्तर न्यूनतम 5.0% के मुकाबले में 4.0%** एवं **Milk solid not fat मानक स्तर न्यूनतम 9.0% के मुकाबले में 8.59%** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब में प्रकट किया कि उसके द्वारा पैकिंग अमूल दूध का उपयोग किया जाता है जबकि परिवाद में भैंस के दूध का उल्लेख किया गया है जो गलत है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अमूल दूध के क्रय संबंधी बिल उपलब्ध करवाये जाने का उल्लेख किया है जो कि पश्चातवर्ती होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा लिये गये नमूने के अवमानक पाये जाने संबंध में अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अप्रार्थी पर **रूपये 20,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर